गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं

1030. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) अभी तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई थी और सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वर्ष 1991--92 में वित्तीय सहायता के लिये गुजरात सरकार के माध्यम से प्राप्त 3 प्रस्तावों में से दो प्रस्ताव अर्थात् (1) गुजरात उद्योग निगम के उत्पादों के विपणन के लिये 7 कृषि पार्लरों की स्थापना और (2) गांडवी और जूनागढ़ में स्थित फल प्रसंस्करण यूनिटों में भंडारण सुविधाओं की स्थापना/वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और क्रमशः 1 लाख रुपये तथा 6 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। फलों के गूदे की बड़ी मात्रा में खराब न होने वाली पैकिंग के लिये एक्विटी भागीदारी के तीसरे प्रस्ताव के बारे में गुजरात कृषि उद्योग निगम से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 1992–93 में टूना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण के लिये वित्तीय सहायता हेतु गुजरात कृषि उद्योग निगम से एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

1031. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्केटिंग एण्ड बिजनेस एसोसिएशन ने प्रसंस्करण सुविधाओं के संबंध में एक सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह पाया है कि देश में प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये क्या कदम उठाना चाहती है;

(ग) क्या सरकार का इस कार्य के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को कुछ प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसी कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, यह अनुमान किया जाता है कि अपर्याप्त फसलोत्तर रख रखाव और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं और ताजे फलों और सब्जियों के बाजारों के बीच संपर्क न होने से प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये के फलों और सब्जियों की बर्बादी होती है। फलों और सब्जियों की बर्बादी के आकलन के लिये विपणन एवं व्यापार संघ द्वारा किये गये किसी सर्वेक्षण के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार ने फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और शीत-भण्डारण की स्थापना और उन्हें सुदृढ करने तथा फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये सहायता देने की अनेक स्कीमें तैयार की हैं।

(ग) और (घ) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन दिये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना, विदेशी एक्विटी भागीदारी के लिये स्वतः अनुमोदन, विदेशी तकनीशियनों की सेवाएं किराये पर

लेना, लगभग सभी प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क हटाना, संयंत्र और मशीनरी पर सीमाशुल्क में कटौती आदि शामिल हैं । इसके अलावा इस मंत्रालय ने कुछ फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं, उत्पादकों और प्रसंस्करण-कर्त्ताओं के बीच पिछड़े संपर्क को मजबूत करने, खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण के लिये बुनियादी सुविधा के विकास आदि सहित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिये योजना स्कीमें भी तैयार की हैं । इन प्रोत्साहनों और योजना सहायता का लाभ प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी उठाया जा सकता है ।

World Bank credit for import of equipment for Food Processing Industries

1032. SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR :
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to secure a credit of $ 1 billion over the next five years from the World Bank and its affiliates to primarily finance import of equipment for food processing industry;

(b) if so, the details of the food processing industry sought to be developed with the World Bank credit; and

(c) what steps have been taken so far in this direction ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Conditions for Pepsi Foods

1033. SHRI DIPEN GHOSH : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to the answer to Starred Question 279 given in the Rajya Sabha on the 27th July, 1992 and state :

(a) what were the conditions for giving Pepsi Foods foothold in the country;

(b) whether the said unit has fulfilled the conditions; and

(c) if not, what action Goverument have taken on non-fulfilment of the conditions ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) M/s. Punjab Agro Industries Corpn. Ltd. were granted letter of intent/foreign collaboration approval (subsequently transferred in the name of M/s. Pepsi Foods Ltd.) for processing potato/grain foods, processed fruit/vegetable products and soft drink concentrate. Certain special conditions, in addition to the general conditions were incorporated in the letter of intent/foreign collaboration aproval which are as under :—

(i) the turnover from soft drink concentrate manufacturing shall in no year exceed 25% of the total turnover of the company for that year;

(ii) the project shall export 50% of its total turnover each year for a period of ten years from the commencement of commercial production of which 40% will be from the company's own manufactured products and 10% from 'Select List' products manufactured by others. The foreign exchange inflow shall not be less than five times the foreign exchange outflow of the project during the aforementioned ten year period.

(iii) there shall be no import of proprietory ingredients to manufacture soft drink concentrate and the raw materials available within the country shall be used to the maximum extent possible. The import of any raw materials and chemicals that are not available indigenously shall be regulated by the Import Policy in force from time to time and no special import concessions shall be allowed.